



ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2016; 2(9): 789-790
www.allresearchjournal.com
Received: 18-07-2016
Accepted: 19-08-2016

डॉ नन्दनी समाधिया,
असि0 प्रोफेसर संस्कृत विभाग
टीकाराम स्मृति महाविद्यालय मोट,
झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत

आज के परिवेश में दलितों की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर व्यख्या

डॉ नन्दनी समाधिया

दलितों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक स्थिति का प्रमुख आधार भारतीय वर्ण व्यवस्था रही है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य एवं चरणों से शुद्र की उत्पत्ति हुयी है। विष्णु पुराण में वर्ण की उत्पत्ति भगवान विष्णु से मानी गई है। इनके मुख से ब्रह्मण, बाँहों से क्षत्रिय, उदर से वैश्य, तथा पैरों से शुद्र की उत्पत्ति मानी गई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मेने ही चारो वर्णों की उत्पत्ति कर्म एव गुणो के आधार पर की है। साधारण व्यक्ति के लिए वर्ण का सीधा अर्थ है हिन्दू समाज की चार व्यवसायिक क्रम में विभाजन जैसे— ब्राह्मण (पुजारी एवं अध्येता) क्षत्रिय शासक, वैश्य व्यापार, शुद्र कृषक। वेदो का सूक्ष्म अध्ययन करने पर पता चलता है कि वैदिक काल में वर्णों की अलग अलग टोलिया नहीं थी। सिर्फ व्यक्ति के कर्म पर ही उसका वर्ण निर्धारित किया जाता था। आर्य परिवार का जो सदस्य पूजा करता था। और शास्त्रों को धारण करता था। वह ब्रह्मण कहलाता था। जो व्यक्ति व्यापार आदि कार्य करता था वह वैश्य कहलाता था। जो सदस्य तीनों कार्य करने में असमर्थ रहता था इसका कारण भले ही कोई हो एवं ऐसा व्यक्ति जो उक्त तीनों कार्य को छोड़कर तीनों कार्य करता था उसे शुद्र माना जाता था शास्त्र जी के अनुसार प्रारम्भ में वर्ण का आधार व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कर्म थे। ईसा पूर्व तीसरी व चौथी सदी में धर्माशास्त्रियों व स्मृतिकारों द्वारा अन्तर्गण्य मिश्रण को रोकने के लिये सामाजिक प्रतिबंधों को कठोर करना ब्रह्मणों को भूदेव के रूप में स्थापित करना एवं दलित वर्ग पर कठोर प्रतिबंध लगाना प्रारम्भ कर दिया। धीरे धीरे दलित समाज की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। कुसुम मेघावार लिखती है कि राजा व सामंत वर्ग तक दलितों की कोई पहुच नहीं थी। अतः जिसे वर्ग की पहुच नहीं थी उन्ही के हाथों दलित पीडित व शोषित होता रहा है। दलित शब्द का प्रथम प्रयोग 1920-30 के लगभग किया गया लेकिन 1973 के बाद यह एक जन सामान्य शब्द बन गया डॉ अम्बेडकर ने दलित वर्ग का प्रयोग करते हुये कहा है कि जो जातियाँ गरीबी शोषित व सामाजिक तथा धार्मिक आधारों से वंचित है वह दलित है। उन्होंने इस शब्द में उन सभी जातियों को सम्मिलित किया है जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित है इन्हीं को गाँधी जी ने हरिजन कहा है। स्वतंत्रता की पश्चात सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुये संविधान में इन समुदाय के लिये संविधानिक प्रवाधानों का उल्लेख किया है संविधान के अनुच्छेद 46 में उल्लेखित है कि राज्य सामाज के कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति के भौक्षणिक एवं आर्थिक हितों का बढावा देने के लिये विशेष प्रयास करेगा इस संवैधानिक प्रवधानों के परिणाम स्वरूप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

1. अस्प भयता अपराध अनिनियम 1955 इसके द्वारा छुआछुत संबंधी सभी भेदभाव को अपराध घोषित किया गया है 1976 में इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण कानून कर दिया गया है।
2. संविधान के अनुच्छेद 15(1) 17, 19, 25, 29 एवं 46 में इनके शैक्षणिक एवं सामाजिक न्याय एवं शोषण से मुक्ति से सम्बन्धित मानवाधिकारो का उल्लेख है। अनुच्छेद 330, 332 एवं 334 के द्वारा संसद तथा राज्य विधान मण्डलों में इन्हे विशेष प्रतिनिधित्व देन की व्यवस्था की गई है।
3. अनुच्छेद 335 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा से होने वाली नियुक्ति में 15 प्रतिशत एवं सीधी भर्ती में इनके लिए 16.66 प्रतिशत स्थान आरक्षित है।

राजनीति के सम्बंध में उत्तरदाता जागरूकता दिखें सभी ने मायावती को अपना नेता बताया है और उनकी पार्टी को ही अपनी पार्टी बताया है कुछ ने सांसद पी0एल0पुनिया एवं आदित्य राज जो वर्तमान में सांसद है उनको अपना नेता माना है। परन्तु आज भी समाज का एक बड़ा दलित तबका अपनी मूलभूत जरूरतों से वंचित है। आजादी के 70 साल बाद भी भेदभाव के कारण कई प्रतिभाभान दलित छात्र बड़े बड़े विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थान में फाँसी लगाकर आत्महत्या कर रहे है। आज जहा भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था के पायदान पर खड़ा है वही दूसरी तरफ रोज सामाचार पत्रों के माध्यम से एवं न्यूज चैनल पर देश भर में कहीं न कहीं दलितों के साथ अत्याचार की खबरें निरन्तर आ रही है। चाहे वह गुजरात हो चाहे मध्यप्रदेश चाहे उत्तर प्रदेश क्या दलित सामाज सिर्फ राजनेताओं के लिये एक वोट बैंक बनकर रह गया है वैसे तो राजनेता अपने भाषाणों दलित उत्थान के लिये बड़े बड़े वादें करते है तथा उनके यहाँ रात में खाना एवं भोजन करकर फिर उन्हें भूल जाते है। इसे पर समाज के चिन्तकों को एवं विचारकों का सोचना चाहिए।

Correspondence

डॉ नन्दनी समाधिया,
असि0 प्रोफेसर संस्कृत विभाग
टीकाराम स्मृति महाविद्यालय मोट,
झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत

संदर्भ

1. ऋग्वेद – 10-90-12
2. विष्णु पुराण: 1/12/63-64
3. मेघवाल कुसुम : हिंदी उपन्यासो मे दलित वर्ग, संघी प्रकाशन उदयपुर 1988
4. अम्बेडकर बी0आर सम्पूर्ण बाङ्मय, भाग-1 भारत सरकार नई दिल्ली ।